न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–64 सन् 2019

नागेश्वर सिंह.....वादी

बनाम

अभय सिंह वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 16.07.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख आवेदिका की ओर से आदेश 01 नियम 10 वो दफा 22 रूल 3 वो दफा 151 सी0पी0सी0 वो आदेश 22 नियम 9 तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 18.06.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदिका का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के वाद नागेश्वर सिंह की मृत्यु दिनांक 16.03.2022 को हो गई। वादी नागेश्वर सिंह अपने जौजे–मु0 सरस्वती देवी पेसर चंद्रमा कुमार सिंह वो दो दोख्तर 1. रिंकी सिंह 2. पिंकी देवी को छोड़कर फौत कर गए हैं। उपरोक्त मोकदमा को अग्रसारित करने वास्ते वादी का नाम कलमजद करके उनके स्थान पर अर्जीनालिश में उनके वारिसान का नाम मुन्दर्ज होना नेहायत जरूरी है। अतः निवेदन है कि वादी नागेश्वर सिंह का नाम कलमजद करके उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाए। आवेदिका की ओर से आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत उपसमन अपासत करने तथा धारा 5 विलंब माफ करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन

से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी नागेश्वर सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 16.03.2022 को अपने वारिसानों को छोड़कर हो गई। वादी नागेश्वर सिंह के पत्नी मु0 सरस्वती देवी पेसर चंद्रमा कुमार सिंह वो दो दोख्तर रिंकी कुमार वो पिंकी देवी हैं। आवेदिका की ओर से यह आवेदन वाद नागेश्वर सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके वारिसानों को प्रतिस्थपित करने हेतु दाखिल किया है। आवेदिका की ओर से यह प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है तथा वाद का उपसमन हो गया है। अतः आवेदिका की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन को अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 08.08.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।